

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा
02/2020

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
09.01.2020

निर्णय दिनांक
29.01.2021

उन्वान सरकार बनाम प्रभुदयाल पुत्र हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी चुरीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का टाणी भालोठ ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वाके ग्राम चुरीना की राजकीय भूमि ख0न0 463 कुल रकबा 0.35 है0 किस्म गै0भू0 रास्ता में से 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमी प्रभुदयाल पुत्र हजारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी चुरीना ने अवैध रूप से मिट्टी का डोल व बाड़ बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अनुपस्थित रहा। अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो कायिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में मिट्टी का डोल व बाड़ बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी धोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से मिट्टी का डोल व बाड़ बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 2.47/- का अतिक्रमण शुदा लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/घसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकनील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा.सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 88 पर 50/- की मांग कायम की गई।

(मांगोपरी पत्रिका)
तहसीलदार बुहाना
जिला (अ-प्र-0) राज0

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना